न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव रौनी

अपील संख्या– 08/23 तारीख रज्जू–12/09/23

1 केशुला देवी पत्नि हुकम जाति बैरवा निवासी जाखोलास खुर्द तहसील बरनाला जिला गंगापुर सिटी।
——अपीलान्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बरनाला जिला गंगापुर सिटी।
2. रघुराज सिंह गुर्जर इन्चार्ज पटवारी भांवड तहसील बरनाला जिला गंगापुर सिटी (राज)
—— रेस्पोडेन्टान

उपस्थित

1. अधिवक्ता हरिशंकर शर्मा– अपीलार्थी पक्ष
2. पेरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट पक्ष

निर्णय दिनांक– 15/10/2024

अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय तहसीलदार बरनाला द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र सं0 1/2023 उनवान रघुराज सिंह गुर्जर बनाम श्रीमति केशूला देवी में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र संख्या 1/23 में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2023 द्वारा तहसीलदार बरनाला ने ग्राम जाखोलास खुर्द पटवार मण्डल भावड़ के नामान्तरण संख्या 784 निर्णय दिनांक 29.05.2023 को प्रत्याहारित (Withdrawn) किया है, साथ ही अपीलान्ट ने उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2023 निरस्त कर नामान्तकरण सं0 784 दिनांक 29.05.2023 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पो0 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि ख0नं0 509 रकबा 0.76 है0, ख0नं0 510 रकबा 0.97 है0 स्थित ग्राम जाखोलास खुर्द में से 1/9 एवं 1/27 हिस्से का खातेदार सुखराम पुत्र हरपाल के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार बरनाला द्वारा नामान्तकरण सं0 784 दिनांक 23/05/2023 को खोल कर दर्ज कर दिया था। जिसके उपरान्त प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में बदस्तूर सहखातेदार के रूप में दर्ज हो गया । उक्त नामान्तकरण प्रार्थीया को बिना सूचना दिये ही दिनांक 10/8/2023 को निरस्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी के ओर से यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को उपस्थिती के लिए कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं करते हुए मनमाने तरीके से पत्रावली का अवलोकन करते हुए अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए नामान्तकरण सं0 784 दिनांक 29.05.2023 ग्राम जाखोलास खुर्द बिना अपीलान्ट को सुने ही निरस्त कर दिया।

अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तकरण सं0 784 दिनांक 29.05.2023 ग्राम जाखोलास खुर्द का माननीय न्यायालय को अपने आदेश को ही रिव्यू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जिसके लिए अदालत मातहत सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स पेश करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा रेफरेन्स प्रस्तुत न कर मनमाने तरीके से अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने की नियत से व राजस्व रिकोर्ड को प्रभावित करने के उद्देश्य से उक्त विवादित आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है।

अपीलार्थी को नामान्तकरण सं0 784 की जानकारी दिनांक 18.08.2023 को हुई जब राजस्व रिकोर्ड की जमाबन्दी लेने से पता चला कि सहखातेदार केशूला पत्नि हुकम के स्थान पर पुनः सुखराम पुत्र हरपाल दर्ज हो गया है। अदालत मातहत को नामान्तकरण को रिव्यू आदेश के अनुसार खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत मातहत को रिव्यू आदेश व गलत नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु अलग से रेफरेन्स निगरानी के अर्न्तगत उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाना आवश्यक है न कि अपने निर्णय को रिव्यू करने का कोई प्रावधान है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2023 निरस्त कर नामान्तकरण सं0 784 दिनांक 29.05.2023 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

15/10/24
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अदालत मातहत द्वारा नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस तामील कुनिन्दा द्वारा अपीलार्थी के मकान पर उपस्थित ग्राम वासियों के समक्ष चस्पा किया गया था। उक्त नोटिस की प्रति पर मौके पर उपस्थित ग्राम वासियों के हस्ताक्षर भी अंकित है। जिस कारण अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को बिना सुने उक्त निर्णय पारित किया गया है, गलत एवं निराधार है। वकील अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि अदालत मातहत को रिव्यू/ पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अर्न्तगत अदालत मातहत को पुनरावलोकन के अधिकार प्रदान किये हुए है। जिसकी समय सीमा 90 दिवस है तथा अप्रार्थी स0 2 रघुराजसिंह गुर्जर पटवारी भावंड द्वारा समय सीमा में ही उक्त प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है, साथ ही पेरोकार सरकार ने उक्त अपील निरस्त कर आदेश दिनांक 10.08.2023 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ,उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलार्थी द्वारा विवादित निर्णय दिनांक 10/08/23 अपीलार्थी को बिना सुने निर्णय पारित करने तथा अदालत मातहत को अपने आदेश को ही रिव्यू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने के तथ्यों के आधार पर निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। जबकि अदालत मातहत की पत्रावली मे संलग्न नोटिस कमांक 972 दिनांक 04.08.2023 के अनुसार अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था तथा उक्त नोटिस अपीलार्थी के मकान पर मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष चस्पा किया गया था। उक्त नोटिस पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर भी अंकित होना पाया गया। वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अदालत मातहत को रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 व सिविल प्रकिया संहिता , 1908 की धारा 114 के अर्न्तगत अदालत मातहत को पुनर्विलोकन करने के अधिकार प्रदान किये हुए है। वकील अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में अंकित किया हुआ है कि अपीलान्ट को दिनांक 18.08.2023 को राजस्व रिकोर्ड की जमाबन्दी लेने से पता चला कि सहखातेदार केशुला पत्नि हुकम के स्थान पर पुनः सुखराम पुत्र हरपाल दर्ज हो गया है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील में ना तो नवीन जमाबन्दी संलग्न की है ना ही सुखराम पुत्र हरपाल /उसके वारिसानों / संबंधित हितधारकों को पक्षकार बनाया गया है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10/08/2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)